



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आषाढ 1938 (श0)

(सं0 पटना 602) पटना, सोमवार, 18 जुलाई 2016

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचनाएं (संशोधित)

15 जुलाई 2016

सं0 8/नियम संशोधन-08-09/09-790 (8)/रा0—विभागीय अधिसूचना सं0-362(8) रा0, दिनांक 28.04.2011 सम्प्रति गजट नोटिफिकेशन सं0-515 दिनांक-01.10.2012 द्वारा अधिसूचित बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा-1(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल ने बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम, 11, 2010) को बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से अधिनियमित किया था।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-328/2014, 5951/2014 एवं 3651/2014 में दिनांक 27.01.2015 को पारित आदेश तथा विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में उक्त अधिसूचना में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-

“बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम, 11, 2010) की धारा-1 (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम, 11, 2010) को, बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) नियमावली, 2011 के गठन से सम्बन्धित गजट नोटिफिकेशन की तिथि दिनांक-16.03.2011 की तिथि से लागू करते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

व्यास जी,

प्रधान सचिव।

The 15<sup>th</sup> July 2016

**No. 8/Niyam Sanshodhan-08-09/09-790 (8)/R**—In exercise of the powers conferred under the Rule-1(3) of Bihar Agricultural Land (Conversion for Non Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010) notified by the gazette notification no. 515, dated 01.10.2012 vide departmental notification no. 362(8)Ra, dated-28.04.2011, The Governor of Bihar had enacted the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010) from the date of its publication in the Bihar Gazette.

In the light of the order dated 27.01.2015 passed by the Hon'ble High Court, Patna in C.W.J.C No. 328/2014, 5951/2014 and 3651/2014 and the opinion given by the Department of Law, the said notification is amended as follows:-

"In exercise of the powers conferred under the Rule-1(3) of Bihar Agricultural Land (Conversion for Non Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010), The Governor of Bihar makes the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010) applicable from the date-16.03.2011, the date of publication of gazette notification of Bihar Agricultural Land (Conversion for Non Agricultural Purposes) Rules, 2011."

By order of the Governor of Bihar,

**Vyas ji,**  
**Principal Secretary.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 602-571+1000-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>